'कार्यस्थल' पर यौन उत्पीड़न क्या है?

यौन उत्पीड़न कोई भी व्यवहार है जो

- यौन स्वभाव का है
- अवांछित है
- यौन मंशा का होना ज़रूरी नहीं है

इसके दायरे में किस प्रकार का व्यवहार आता है?

- रूप रंग, शरीर, कपड़े, या आचरण पर यौन या सांकेतिक / अश्लील टिप्पणियाँ, संदेश या इमोजी
- व्यक्तिगत रूप से, ईमेल या सोशल मीडिया पर
- काम से संबंधित बातचीत को यौन विषयों की ओर मोड़ना

- छूना या प्रयास करना (पकड़ना, गले लगाना, करीब खड़ा होना, आदि)
- व्यक्तिगत या शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालना
- पीछा करना
- बिना सहमति के तस्वीरें लेना, उसे फैलाना या तस्वीरों में बदलाव करना, दूसरों के साथ साझा या सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के लिए
- घूरना, ताँक झाँक करना
- अश्लील इशारे करना या साहित्य दिखाना
- अफवाहें फैलाना

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या नहीं है?

- एचआईवी/एड्स, यौन शिक्षा और यौन उत्पीड़न पर जागरूकता फैलाना
- मेडिकल जांच, जिसमें सहमति से शारीरिक परीक्षण/ स्पर्श शामिल है
- आपसी सहमति के रिश्ते

शिकायत कौन और कहाँ दर्ज कर सकता है?

शिकायतकर्ता - एक महिला कर्मचारी है जो -

- स्थायी, अस्थायी, अनौपचारिक, दैनिक मजदूरी या स्वरोजगार है
- मेहनताना या अवैतनिक आधार पर काम करने वाली है
- चाहे सीधे या किसी एजेंट के माध्यम से कार्यरत है
- कार्यस्थल से जूडी कोई भी महिला है

आप कब शिकायत दर्ज कर सकते हैं?

शिकायतें तब दर्ज की जा सकती हैं जब घटना कार्यस्थल के भीतर या कार्य-संबंधित गतिविधियों के दौरान हो। नियोक्ता द्वारा यात्रा करने के लिए दिए गए परिवहन भी शामिल है।

शिकायत कहाँ दर्ज करें?

दो श्रेणियों के कार्यस्थलों के लिए दो प्रकार के निवारण तंत्र उपलब्ध है:

संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र
10 से अधिक श्रमिकों वाले उद्यम, सरकारी, गैर-सरकारी संगठन, सेवा प्रदाता, शिक्षा / स्वास्थ्य / खेल संस्थान, निजी कंपनियां	10 से कम श्रमिकों वाले उद्यम, स्वनियोजित, बिना आंतरिक समिति वाले कार्यस्थल
जैसे - छात्र, सुरक्षा गार्ड, इंटर्न	जैसे - फेरीवाले, घरेलू कामगार, खेतिहर मजदूर
आंतरिक समिति (आई.सी.)	स्थानीय समिति (एल.सी.)
नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय / प्रशासनिक इकाई में एक आई.सी. का गठन करना होगा जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी हों	सरकार प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारियों को अधिसूचित करेगी, जो एक एल.सी. का गठन करेंगे

शिकायत कैसे दर्ज करें?

शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए:

- आंतरिक / स्थानीय समिति को एक लिखित शिकायत जमा करें
- लिखित शिकायत दर्ज करने में असमर्थ लोगों (अशिक्षित, परेशान, मानसिक या शारीरिक विकलांगता, मृतक) के लिए, समिति या अन्य द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है

शिकायत दर्ज करने की समय सीमा:

- शिकायत यौन उत्पीड़न की घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए
- जहां लगातार उत्पीड़न हो रही हो, वहां अंतिम घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज की जा सकती है
- 90 दिनों की समय सीमा को और 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। बशर्ते, जिन कारणों या विशेष परिस्थितियों के कारण देरी हुई, उन्हें स्पष्ट किया जाए।

पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. (प्रथम सूचना रिपोर्ट) भी दर्ज कराया जा सकता है:

- पीड़ित महिला भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य उपयुक्त कानून के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है
- नियोक्ता को पीड़िता कर्मचारी की एफ.आई.आर दर्ज करवाने में सहायता करनी होगी
- पुलिस कार्यवाही कार्यस्थल पर आंतरिक जांच से स्वतंत्र होगी
- घरेलू श्रमिक महिला के मामले पुलिस ही देखेगी। स्थानीय समिति शिकायत से 7 दिनों के भीतर मामले को पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएगी।

शिकायत दर्ज होने के बाद समिति द्वारा कैसे कदम उठाए जा सकते हैं?

चरण 1: प्रथम दृष्टया निष्कर्ष: समिति निम्नलिखित के आधार पर शिकायत को स्वीकार या अस्वीकार करेगी:

- (क) जिस व्यवहार की शिकायत की गई है क्या वह यौन उत्पीड़न है?
- (ख) क्या यह कार्यस्थल के दायरे में है?
- (ग) क्या यह निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत है?
- (घ) अगर निर्धारित समय सीमा के ऊपर है तो क्या उसके कारण मौजूद है?

यदि सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो समिति शिकायत दर्ज करेगी। और साथ ही शिकायतकर्ता को सुलह एवं जांच प्रक्रिया के विकल्पों की सूचना देगी

चरण 2: सुलह: शिकायत की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर, समिति शिकायतकर्ता को सुलह का विकल्प प्रदान कर सकती है

- यह शिकायतकर्ता के अनुरोध पर किया जाता है परन्तु प्रतिवादी की भाग लेने की सहमति होनी चाहिए
- यह समिति द्वारा संचालित प्रक्रिया है
- सहमति मुआवजे या पैसों के लेनदेन से नहीं हो सकती
- यदि सुलह से मामला सुलझ नहीं पाता है तो समिति जांच आगे बढ़ाएगी

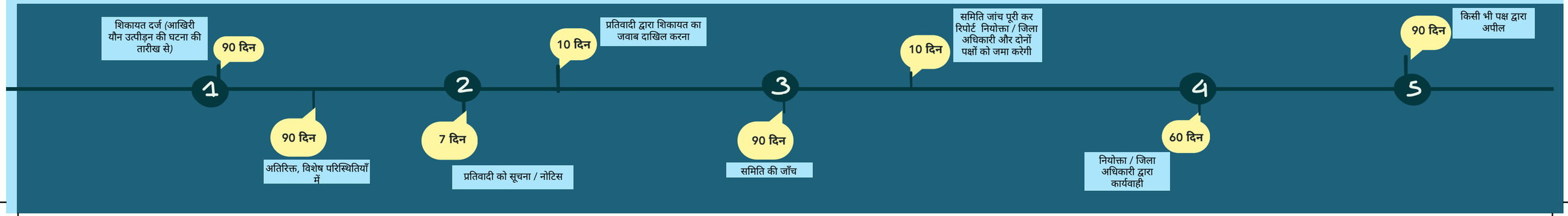

जाँच प्रक्रिया:

चरण 3: जांच: जहां सुलह कोई विकल्प नहीं है, या सफल नहीं होता है, समिति जांच करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगी:

1. समिति शिकायत की एक कॉपी प्रतिवादी को भेजेगी
2. शिकायत दर्ज करने के बाद समिति परिस्थिति के हिसाब से कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे शिकायतकर्ता को अंतरिम राहत मिले तथा उसपर कार्यस्थल में जाँच प्रक्रिया के दौरान कोई दबाब ना हो। जैसे-शिकायतकर्ता को छुट्टी, प्रतिवादीत का बादला और निरीक्षणात्मक भूमिका से हटाना।
3. समिति प्रतिवादी को 7 दिनों के भीतर नोटिस भेजेगी
4. प्रतिवादी को 10 दिनों के भीतर शिकायत का जवाब दाखिल करना होगा
5. प्रतिवादी के जवाब की एक कॉपी शिकायतकर्ता को प्रदान की जाएगी
6. समिति दोनों पक्षों से पूछताछ करेगी और उनके गवाहों का साक्षात्कार लेगी
7. समिति स्वतंत्र गवाहों से जानकारी मांग सकती है
8. समिति सभी गवाहियों को दस्तख़त के साथ रिकॉर्ड करेगी
9. समिति दोनों पक्षों को एक-दूसरे से सवाल पूछने के लिए समान अवसर प्रदान करेगी। ऐसे तरीकों को अपनाएगी जो शिकायतकर्ता को परेशान होने से बचाए; और जहां आवश्यक हो, गवाहों की गोपनीयता रखेगी।
10. 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करेगी और निष्कर्षों की एक रिपोर्ट नियोक्ता / जिला अधिकारीऔर दोनों पक्षों को 10 दिनों के भीतर देगी।

चरण 4: जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्यवाही:

- नियोक्ता को समिति के निष्कर्षों या अनुरोध के आधार पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी है
- जहां समिति प्रतिवादी को दोषी पाती है, नियोक्ता समिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर दुराचार की गंभीरता के अनुरूप और अनुपात में निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रक्रिया कर सकता है:
  - शिकायतकर्ता को अंतरिम राहत देना
  - दुर्व्यवहार के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध सेवा नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना
  - प्रतिवादी के वेतन / मजदूरी से शिकायतकर्ता को मुआवजा दिलाना। जिलाधिकारी, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि की प्राप्ति कर सकता है।
- जांच रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न साबित नहीं होने पर, मामला बंद कर दिया जाता है
- जहां जांच रिपोर्ट में शिकायत झूठी या दुर्भावनापूर्ण पाई जाए, वहां सेवा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत वह है जो जानबूझकर गलतफहमी पैदा करे या जाली दस्तावेज पर आधारित हो।
- पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण शिकायत साबित न कर पाने पर वह झूठी नहीं मानी जाती है। अनुमान के आधार पर शिकायत को दुर्भावनापूर्ण नहीं माना जा सकता है। उसे जांच द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के अधिकार:

दोनों पक्षों के सामान अधिकार:

- गैर-पक्षपातपूर्ण और निष्पक्ष जांच
- जांच में दोनों पक्षों को सुनवाई का समान अवसर
- पूछताछ में एक दूसरे से सवाल करने का अधिकार
- दोनों पक्षों की पहचान की गोपनीयता
- दोनों पक्षों को जांच समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर न्यायालय या न्यायाधिकरण में अपील कर सकते है

केवल शिकायतकर्ता के अधिकार:

- पूछताछ में शिकायतकर्ता के यौन इतिहास, जीवनशैली, पोशाक से संबंधित प्रश्नों की अनुमति नहीं है
- समिति द्वारा शिकायत दर्ज होने पर शिकायतकर्ता अंतरिम राहत के हकदार है
- ज़रूरत अनुसार कार्यस्थल और जिरह में शिकायतकर्ता को प्रतिवादी के संपर्क और प्रभाव से सुरक्षित रखना।

आपकी चेकलिस्ट:

- क्या आपने अपने संस्था की यौन उत्पीड़न नीति को पढ़ा है?
- क्या आपके कार्यालय में इस विषय पर पोस्टर है?
- क्या आंतरिक समिति का विवरण आपके कार्यालय में एक सार्वजनिक स्थल में प्रदर्शित किया गया है?
- क्या आपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून पर कार्यशालाओं / जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया है?

पार्टनरस फॉर लौ इन डेवलपमेंट

www.pldindia.org

शिकायत और जांच प्रक्रिया के लिए एक मार्गदर्शिका

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत

PLD

पार्टनरस फॉर लौ इन डेवलपमेंट

पी.एल.डी. एक कानूनी संसाधन समूह है जो महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय और समानता की प्राप्ति का प्रयास कर रही है

www.pldindia.org